न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 13/2016 दिनांक 17/09/2016

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष– मनभरन साहु, पिता रूप चन्द्र साहु, ग्राम बसिया.. बगैरह।

बनाम

द्वितीय पक्ष– गोकुल चन्द्र साहु, पिता जयानन्द सोनी, ग्राम बसिया।

वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी बसिया के अप्रथामिकी सं0 03/2016 दिनांक 06/09/2016 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) मनभरन साहु उम्र 55 वर्ष पिता रूप चन्द्र साहु (2) डमरूधर साहु उम्र 48 वर्ष पिता रूप चन्द्र साहु (3) विवके कुमार साहू उम्र 25 वर्ष पिता मनभरण साहु सभी ग्राम बसिया के द्वारा द्वितीय पक्ष के **द्वितीय पक्ष** (1) गोकुल चन्द्र साहु उम्र 59 वर्ष पिता जयानन्द सोनी ग्राम बसिया थाना बसिया सभी जिला गुमला के द्वारा प्रथम पक्ष के खाता सं0 129, प्लॉट सं0 1679 नया प्लॉट 1889 रकबा 1.00 एकड़ भूमि पर जबरदस्ती घर मनवा रहे है एवं खेती किये है। जिसको लेकर पक्षो में तनाव का माहौल है जिसके कारण शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना है। उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही अंचल अधिकारी, बसिया एवं थाना प्रभारी बसिया से विवादित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया जो प्राप्त है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष के प्रधिकृत अधिवक्ता द्वारा कारण पृच्छा एवं जवाब दाखिल किये है कि उक्त विवादित भूमि मौजा बसिया के थाना सं0 50 खाता सं0 129 प्लॉट सं0 1679 रकबा 1.00 मे सें पूरब 0.50 डी0 से संबंधित है। विवादित भूमि के खतियानी रैयत विश्वनाथ सिंह व किशुन सिंह पिता बंधु सिंह दर्ज है। जियकी वंशावली निम्न प्रकार है।

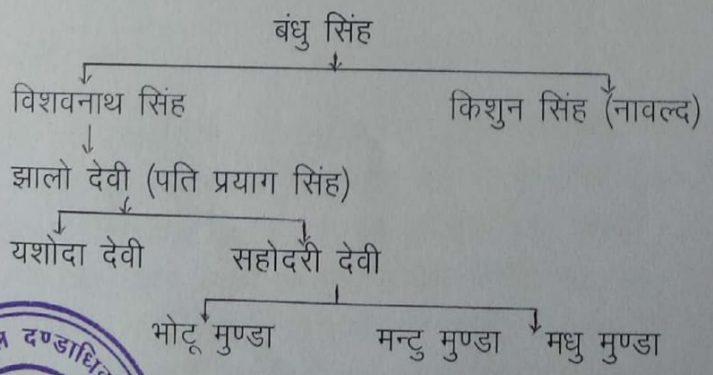

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

Scanned by CamScanner

विवादित जमीन द्वितीय पक्ष की पत्नी विनोदिनी देवी विकेता यशोदा देवी से खरीदगी पट्टा से ली है और उक्त भूमि वंशावली के अनुसार यशोदा देवी और सहोदरी देवी की संयुक्त सम्मिलात भूमि है जिसे यशोदा देवी को छुपाकर केवाला विकी की है।

उक्त भूमि का लगान रसीद एतवारी बगैरह पिता विशनाथ सिंह के नाम है और बिना उत्तराधिकार दाखिल खारिज के एतवारी देवी के नाम से कैसे निर्गत हुआ जो संदेह पैदा करता है।

यह कि हाल सर्वे के बण्डा पर्चा में प्रथम पक्ष मनभरण कसेरा बगैरह के नाम से दर्ज है और प्रथम पक्ष विगत 50 वर्षो से शातिपुर्वक दखल कब्जा में है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है। द्वितीय पक्ष गलत तरीके से विवादित जमीन का रजिस्ट्री कराया है और प्रथम पक्ष को जबर्दस्ती गलत तरीके से उक्त जमीन से वेदखल करना चाहता है।

प्रथम पक्ष द्वारा निम्न लिखित कागजात दाखिल किया गया है–

(1) खाता संख्या 276 का खतियान की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष स्वयं रखते हुए लिखित एवं बहस जवाब दाखिल किया है कि बसिया थाना में दिए गए लिखित शिकायत पत्र के आधार पर मौजा बसिया के खाता सं0 129, प्लॉट सं0 1679, रकबा 1.0 एकड़ भूमि प्रथम पक्ष की जमीन है एवं द्वितीय पक्ष के सदस्य मकान बना रहे है।

उक्त विवादित भूमि खाता सं0 129 प्लॉट सं0 1679 रकबा 1.00 एकड़ मौजा बसिया जिला गुमला सावेक खतियान में विशुनाथ सिंह वो किसुन सिंह दोनो पिता बन्धु सिंह के नाम से दर्ज है।

विवादित भूमि खाता सं0 129 प्लॉट सं0 1679 रकबा 1.0 एकड़ मौजा बसिया थाना बसिया जिला गुमला सावेक खतियान में विशुनाथ सिंह वो किसुन सिंह दोनों पिता बन्धु सिंह के नाम से दर्ज है।

खतियानी रैयत का कुर्सीनामा निम्न प्रकार हैः–

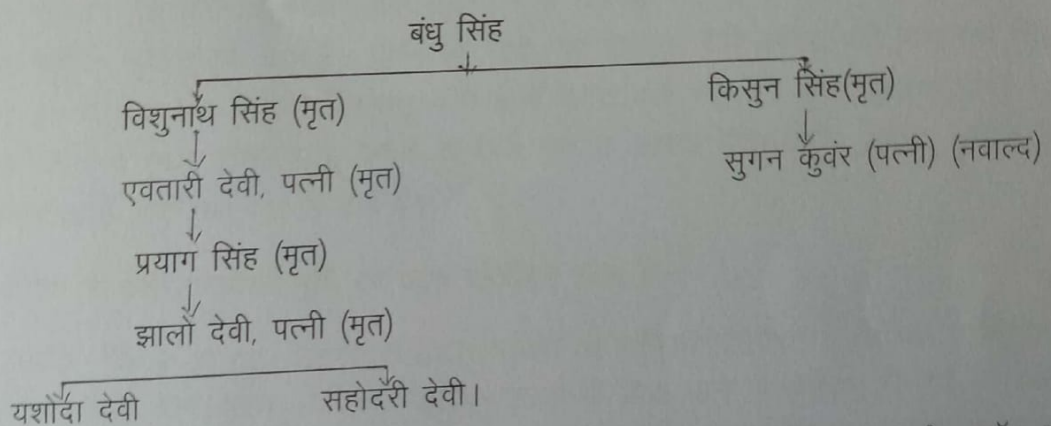

सुगन कुवंर खाता सं0 276 प्लॉट सं0 832 रकबा 0.79 डी0 प्लॉट सं0 1697 रकबा 24 डी0 प्लॉट सं0 1707 रकबा 18 डी0 एवं खाता सं0 129 प्लॉट नं0 1678 रकबा 0.61 डी0 जमीन श्रीमति संखावती कुवंर पति सखीचंन्द्र साहु से दिनांक 03/04/72 को रजिस्ट्री पट्टा संख्या 1309/72 के द्वारा बिकी की है तथा खाता सं0 129 प्लॉट सं0 1670 रकबा 36 डी0 जमीन दिनांक 22/05/73 को रजिस्ट्री पट्टा सं0 1305/73 के द्वारा बिकी की है। संखावती देवी एवं उसके पति सखीचन्द साहु की मृत्यु हो चुकी है तथा दोनो से कोई संतान नही है। वाद के प्रथम पक्ष मनभरन साहु वगैरह सखीचन्द्र साहु के भतिजा है। द्वितीय पक्ष के सदस्य गोखुल चन्द्र साहु ने अपने पत्नी विनोदनी देवी के नाम से खाता सं0 129 प्लॉट 1679 रकबा 0.50 डी0

Scanned by CamScanner

मीन यशोदा देवी से दिनांक 25/07/2016 को रजिस्ट्री पट्टा संख्या 612/2016 दिनांक 25/07/2016 के द्वारा खरीद किये है खरीदगी के वाद से शांतिपूर्वक दखलकार होकर जमीन पर खेती करते चले आ रहे है तथा उक्त जमीन का घेरा भी किये है तथा जमीन के एक भाग में मकान भी बनाये है।

उक्त विवादित भूमि का 0.50 डी0 जमीन सहोदरी देवी ने दिनांक 22/03/86 को रजिस्ट्री संख्या 804/86 दिनांक 22/03/86 को कलीम अहमद से बिक्री की है जिस पर कलीम अहमद शांतिपूर्वक दखलकार है। एवं उक्त प्लॉट का शेष भूमि 0.50 डी0 जमीन द्वितीय पक्ष की पत्नी के साथ यशोदा देवी बिक्री की है।

द्वितीय पक्ष का दावा है कि खाता सं0 129 प्लॉट सं0 1679 मे से कोई जमीन किसी भी खतियानी रैयत के वंशज से प्राप्त नहीं किये है और न उपरोक्त जमीन पर कभी दखलकार हुए है। प्रथम पक्ष का उपरोक्त जमीन पर किसी प्रकार का कोई हक, दावा या दखलकार नहीं है।

द्वितीय पक्ष द्वारा निम्न कागजात दाखिल किया गया हैः–

(1) उक्त जमीन का खरीदगी रजिस्ट्री की छाया प्रति।

(2) उक्त भूमि का खतियान की छाया प्रति।

(3) अधतन्न लगान रसीद जो कि एतवारी देवी के नाम से निर्गत है।

अंचल अधिकारी, बसिया से उक्त विवादित भूमि का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हैः–

अंचल अधिकारी, बसिया के पत्रांक 360(ii) /रा0 दिनांक 29/10/2016 के द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बसिया थाना सं0 50 खाता सं0 129 प्लॉट सं0 1679 रकबा 1.00 एकड़ के रैयत वीशुनाथ सिंह वो किशुन सिंह पेशरान बंधु सिंह कौम राजपुत शाकीन देह वहिस्सा बराबर सर्वो खतियान में दर्ज हैं पंजी ii में मौजा बसिया थाना नं0 50 खाता सं0 129 प्लॉट कुल रकबा 2.04½ एकड़ के रैयत मो0 एतवारी देवी बगैरह पति विश्वनाथ सिंह के नाम भौलूम नं0 01 के पेज 172 में दर्ज है परन्तु पंजी ii में प्लॉट दर्ज नहीं है। मौजा बसिया थाना नं0 50 खाता सं0 129 प्लॉट सं 1679 रकबा 0.50 एकड़ के रैयत कलीम अहमद पिता जमीर अहमद खरीदा है जो पंजी ii के भौलूम iv के पंजी सं0 717 में दर्ज है।

थाना बसिया से उक्त विवादित भूमि का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हैः–

थाना बसिया के पत्रांक दिनांक 21/09/2016 के द्वारा लिखित अप्राथमिकी प्रतिवेदन में लिखित प्रतिवेदित किये है कि श्री मनभरण साहु, ग्राम+थाना –बसिया, जिला –गुमला के द्वारा थाना में आवेदन दि गई थी इस कारण दोनो पक्षों के विरूद्ध बसिया थाना अप्राथमिकी सं0 10/16 द्वारा 107 दं0प्र0सं0 एवं अप्राथमिकी सं0 03/2016 दिनांक 06/09/2016 द्वारा 144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्रवाई कर अनुमण्डल न्यायालय में दिया गया है एवं दोनो पक्षों के बीच खाता सं0 129 प्लॉट सं0 1679 रकबा 1.00 एकड़ व नया प्लॉट सं0 1889 को लेकर विवाद के कारण सीमा निर्धारण हेतु अंचल अधिकारी बसिया के कार्यालय में आवेदन दिया गया है।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दाखिल जवाब, कागजात, बहस, थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी बसिया के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि मौजा बसिया के खाता सं0 129 प्लॉट सं0 1679 रकबा 1.00 एकड़ भूमि के रैयत वीशनाथ सिंह वो किशन सिंह पेशरान बंध सिंह कौम

24/11/16
अनुमण्डल पदाधिकारी
(गुमला)

Scanned by CamScanner

राजपुत शाकीन देह वहिस्सा बराबर सर्वे खतियान में दर्ज है,। प्रथम पक्ष द्वारा किसी प्रकार विवादित भूमि में दखल से संबंधित कोई पुख्ता कागजात दाखिल नहीं किया गया है । स्थानीय जॉच से स्पष्ट है, कि प्रथम पक्ष का उक्त विवादित भूमि में किसी प्रकार का हक व दखल नहीं है।

अतः सम्पूर्ण कागजातो के अवलोकन एवं प्राप्त स्थानीय जॉच प्रतिवेदन के उपारान्त द्वितीय पक्ष के हित में एवं प्रथम पक्ष के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

24/11/16

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

24/11/16

अनुमण्डल दण्डाधिकारी

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

Scanned by CamScanner